

17.04.25

वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर  
पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीया का मूल पत्र  
इसी स्तर पर खासिज किया जा चुका है। अतः  
यह ब्राफ़्टर मैचिपलीन होने के कारण इसी  
स्तर पर खासिज किया जाता है। पत्रावली  
बाद तुरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय  
में बुनाया गया।

*M*  
17/04/25  
(किरण पाल)  
R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना

परमजारी कर  
2-  
१७२५

महाराष्ट्र राज्य न्यायालय  
मुंबई न्यायालय  
न्यायाधीश  
मुंबई न्यायालय  
मुंबई न्यायालय